भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

F.No. C13015/13/23-24/S&P/E Auction(P)

Dated : 09.08.2023

To

The Directors/Directors-in-charge of
All Institutes/Centres of ICMR

Subject : E-auction of Govt. Vehicle and scrap material through MSTC, GOI Undertaking.

Sir/Madam,

This is in continuation to ICMR letters Nos. 16/72/2021-Admn.II dated 21.10.2021 and E16/70/2022-Admn. dated 15.03.2023. The ICMR has entered in to an Agreement with MSTC Limited(Govt. of India Undertaking), New Delhi, as selling Agents for sale of all Movable/immovable items including surplus, condemned/scrap/obsolete materials and secondary arising (ferrous and non-ferrous) as well as equipments, Plant, Machineries, properties, misc. articles etc.

A copy of MoA signed between ICMR & MSTC is enclosed for ready reference and further action to dispose of the above materials through the MSTC Headquarter or its nearest offices to Institute/Centre.

Yours faithfully,

09/08/23

(Jagdish Rajesh)
Assistant Director General (Admn.)

Copy to :

1. PS to DG/Sr.DDG(A)/Sr.FA
2. All Divisional Heads
3. DDG(A)/ADG(A)
4. Division of BMI for uploading the same on ICMR website.

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

सत्यमेव जयते

₹100

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-DL21759154361683V
Certificate Issued Date	:	16-Jun-2023 04:59 PM
Account Reference	:	SELFPRINT (PU)/ dl-self/ NEHRU/ DL-DLH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-DLDL-SELF13187587078445V
Purchased by	:	MSTC LTD REGIONAL MANAGER MSTC NRO
Description of Document	:	Article 5 General Agreement
Property Description	:	SELLING AGENCY AGREEMENT FOR E-AUCTIONS
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Second Party	:	MSTC LIMITED
Stamp Duty Paid By	:	MSTC LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

₹100

SELF PRINTED CERTIFICATE TO BE VERIFIED BY THE RECIPIENT AT WWW.SHCILESTAMP.COM

IN-DL21759154361683V

Please write or type below this line

विक्रय एजेंसी करार / SELLING AGENCY AGREEMENT

1.0 यह करार दिनांक **16 जून, 2023** को एक पक्ष के तौर **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद** जिनका कार्यालय **आईसीएमआर, रामलिंगस्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली, दिल्ली- 110029** में है, इसके बाद इसे "प्रिंसिपल" (इस अभिव्यक्ति में जब तक विषय या संदर्भ से अपवर्जित अथवा प्रतिकूल न हो, उसके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तरजीवियों एवं अभ्यर्थियों को शामिल समझा जाएगा) कहा गया। और द्वितीय पक्ष के रूप में **एमएसटीसी लिमिटेड** (भारत सरकार का उपक्रम) कंपनी अधिनियम,

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, नई दिल्ली-110002

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

1956 के तहत निगमित और इसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. सी एफ-18/2, मार्ग सं. 175, एक्शन एरिया 1 सी, न्यू टाउन, कोलकाता - 700156, पश्चिम बंगाल में है और इसका उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय - जीवन विकास भवन, 30-31 ए, आसफ़ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में स्थित है, जिसे बाद में 'एमएसटीसी'(जो शर्तों में जब तक विषय व संदर्भ को अपवर्जित अथवा प्रतिकूल न हो, उसके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तरजीवियों एवं अभ्यर्थियों को शामिल समझा जाएगा) कहा गया। THIS AGREEMENT made this **16th** day of **June, 2023** between **Indian Council of Medical Research** having office at **ICMR, Ramalingaswami Bhawan, Ansari Nagar, New Delhi, Delhi- 110029** hereinafter called "the Principal" (which expression shall excluded by or repugnant to the context be deemed to include its successors and assigns) on the one part;

And

MSTC Limited (A Govt. of India Enterprise) incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at Plot no.CF-18/2, Street No.175, Action Area 1C, New Town, Kolkata - 700156 and its Northern Regional Office at Jeevan Vikas Building, 30-31 A, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 hereinafter called "MSTC" (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include its successors and assigns) on the Other part;

2.0 इस करार को प्रिंसिपल द्वारा पैन इंडिया में कहीं भी स्थित प्रिंसिपल के सभी कार्यालयों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है। नतीजतन, ई-नीलामी के माध्यम से निपटान हेतु माल/संपत्तियों की ई-नीलामी आयोजित करने के लिए एमएसटीसी से संपर्क करने वाले संबंधित प्रभाग/कार्यालय उस नीलामी के लिए प्रिंसिपल के रूप में कार्य करेंगे। / The agreement is being executed by the Principal on behalf of all the offices of Principal situated anywhere in PAN India. Consequently, the concerned divisions/offices engaging MSTC to conduct e-Auction for goods/properties to be disposed in the e-Auction will act as Principal for the said auction.

3.0 जबकि एमएसटीसी ने सभी चल/अचल वस्तुओं तथा सभी अधिशेष, कन्डेम्ड /स्क्रैप/ अप्रचलित सामग्रियों तथा द्वितीयक उत्पन्न पदार्थों (लौह तथा अलौह) के साथ-साथ उपकरणों, संयंत्रों, मशीनरियों एवं अन्य वस्तुओं आदि के निपटान हेतु एमएसटीसी ऑक्शन वेब साईट www.mstcecommerce.com के माध्यम से

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एमएसटीसी को विक्रय एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध करते हुए प्रिंसिपल से संपर्क किया है।WHEREAS MSTC has approached the PRINCIPAL with a request to engage MSTC as Selling Agents for sale of all movable/immovable items and all surplus, condemned/scrap/obsolete materials and secondary arising (ferrous and non-ferrous) as well as equipments, Plant, Machineries, properties and misc. articles etc.; through MSTC's Auction web site www.mstcecommerce.com.

4.0 और अतएव, प्रिंसिपल तद्पश्चात उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों पर प्रयोजनार्थ एमएसटीसी को विक्रय एजेंट नियुक्त करने पर सहमत है।AND WHEREAS the Principal has agreed to engage MSTC as Selling Agent for the purpose on the terms and conditions mentioned hereinafter;

5.0 अब एतद्द्वारा सहमत होकर इसके पक्षकारों द्वारा निम्नानुसार घोषित किया जाता है:- NOW it is hereby agreed and declared by the parties hereto as follows:

5.1 इस करार में उपरोक्त अनुच्छेद 3.0 में उल्लेखानुसार सभी चल/अचल वस्तुओं तथा सभी अधिशेष, कन्डेम्ड/स्क्रैप/अप्रचलित सामग्रियों तथा द्वितीयक उत्पन्न पदार्थों (लौह तथा अलौह) के साथ-साथ उपकरणों, संयंत्रों, मशीनरियों एवं अन्य वस्तुओं आदि के निपटान हेतु एमएसटीसी ऑक्शन वेब साईट www.mstcecommerce.com के माध्यम से होगा।This Agreement covers disposal of all movable/immovable items and all surplus, condemned/scrap/obsolete materials and secondary arising (ferrous and non-ferrous) as well as equipments, Plant, Machineries, properties and misc. articles etc.; through MSTC's Auction web site www.mstcecommerce.com as mentioned in clause-3.0 above;

5.2 उपर्युक्त के अलावा इस करार में परस्पर सहमति से भी निपटान श्रेणी हेतु अन्य वस्तुएं शामिल की जाएगी।In addition to the above, add-ons to the category of disposals may be effected through this agreement on mutual consent.

5.3 एमएसटीसी खंड 3.0, 4.0, 6.1 व 6.2 के अंतर्गत समाहित सभी वस्तुओं के निपटान हेतु सेलिंग एजेंट के रूप में इस करार के आधार पर अपनी वेबसाईट

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम.एस.टी.सी. लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
नई दिल्ली-110001

www.mstcecommerce.com में इंटरनेट पर ई-ऑक्शन द्वारा घरेलू/स्वदेशी बाजार में कार्य करेगा।MSTC shall act as Selling Agent for disposal of all items covered under Clauses 3.0, 4.0, 6.1 & 6.2 hereof in the home/indigenous market by way of e-auction over the Internet on its website www.mstcecommerce.com based on this agreement.

6.0 संविदा की अवधि / DURATION OF CONTRACT:

यह करार तब तक वैध रहेगा जब तक कि कोई एक पार्टी किसी अन्य पक्ष को 3 (तीन) महीने की अग्रिम सूचना देकर समझौते को समाप्त नहीं करेगी। /The Agreement will remain valid till either party terminates the agreement by giving advance notice of 3(Three) months to the other party.

7.0 व्यवसाय की मात्रा / QUANTUM OF BUSINESS:

अपने आप में यह संविदा एमएसटीसी के व्यवसाय की मात्रा के रूप में प्रिंसिपल को प्रतिबद्ध नहीं करता।/This contract by itself does not commit the Principal as to the quantum of business to MSTC.

8.0 एमएसटीसी की सेवा का स्वरूप एवं दायरा तथा दायित्व / NATURE & SCOPE OF SERVICE & RESPONSIBILITY OF MSTC:

8.1 एमएसटीसी नीलामी बिक्री का संचालन प्रत्यक्ष रूप से करेगा और किसी भी मामले में किसी भी डीलर / व्यापारी / नीलामी की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। /MSTC shall conduct auction sale directly and in no case the appointment of any dealer/trader/auctioneer for the purpose will be considered.

8.2 एमएसटीसी नीलामी के प्रयोजनार्थ लॉट्स बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा और ग्राहक से निपटान योग्य सामग्री की सूची हासिल करने पर कार्रवाई करेगा।/MSTC will offer guidance in regard to making of lots for the purpose of Auction and will act on the basis of the list of disposable materials received from the Principal.

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम.एस.टी.सी. लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
नई दिल्ली-110002

8.3 चूँकि ई-नीलामी एक वेब आधारित प्रणाली है, बिक्री के सभी प्रचार एमएसटीसी द्वारा एमएसटीसी की वेबसाइट और अन्य इंटरनेट औजारों के माध्यम से किए जाएंगे और कोई प्रेस विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होगी। एमएसटीसी द्वारा अखिल भारतीय आधार पर एमएसटीसी के सभी पंजीकृत ग्राहकों को ईमेल द्वारा व्यक्तिगत बिक्री नोटिस भेजे जाएंगे।/Since e-Auction, is a web-based system, all publicity of the sale will be made by MSTC through MSTC's website and other internet tools and no press advertisement will be required. Individual sale notices will be sent by MSTC by email to all registered customers of MSTC on all India basis.

8.4 एमएसटीसी प्राथमिक रूप से ई-नीलामी के माध्यम से अपनी वेबसाइट www.mstcecommerce.com के माध्यम से सामग्री का निपटान करेगा।/MSTC shall arrange disposal of the materials primarily through e-auction via their website www.mstcecommerce.com.

8.5 किसी नीलामी के बंद होने पर प्रिंसिपल को एक सिस्टम के द्वारा बनाया गया बिड शीट के माध्यम से स्थिति का संकेत मिल पायेगा। / On the close of any auction Principal will receive a system generated Email indicating the status of the Auction The Principal shall have access to the Bid Sheet of any completed auction.

8.6 आरक्षित मूल्य तय और दर्ज वेबसाईट में प्रिंसिपल द्वारा (अपने गुप्त पासवर्ड के साथ) होना है जो निपतान योग्य सामग्रियों हेतु केवल प्रिंसिपल के निर्देषित/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिगम्य होगा, और किसी अन्य के द्वारा नहीं| आरक्षित मूल्य नीलामी आरम्भ होने से पहले ग्राहक द्वारा दर्ज न किए जाने के मामले में जिस लॉट हेतु आरक्षित मूल्य दर्ज नहीं किया गया वह लॉट सिस्टम स्वचालित रूप से वापिस ले लिया जायेगा|/Reserve Price must be fixed and entered by the Principal (with its secret Password) in the website, which will be accessible by the designated/authorized officer of the Principal only, and none else, for the disposable materials. In case the Reserve price is not entered by the principal prior to commencement of the Auction, the lots for which the reserve prices have not been entered shall stand automatically withdrawn by the system.

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम.एस.टी.सी. लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
दिल्ली-110002

8.7 यदि, बेचना एजेंसी समझौते के तहत कवर किए गए किसी भी वस्तु (एस) के संबंध में, यह प्रिंसिपल द्वारा बाजार सर्वेक्षण करने के लिए वांछित होता है, उसी के लिए प्रिंसिपल द्वारा वहन किया जाना चाहिए। बाजार सर्वेक्षण खुद प्रिंसिपल या सलाहकारों के जरिए किया जा सकता है।/If, in respect of any item(s) covered under the Selling Agency Agreement, it is desired by the Principal to have a market survey, the costs for the same will have to be borne by the Principal. The market survey could be done by the Principal themselves or by engaging consultants.

8.8 एमएसटीसी अनुमोदित लॉट हेतु सिस्टम के माध्यम से प्रिंसिपल की ओर से सफल बोलीदाताओं/क्रेताओं/ग्राहकों को बिक्री स्वीकृति पत्र जारी करेगा।/MSTC shall issue the Sale Acceptance Letters to the successful bidders/ buyers/customers on behalf of the Principal through the system for the approved lots.

8.9 एमएसटीसी प्रिंसिपल के पास जमा करने हेतु ग्राहकों से बिक्री मूल्य/बिड मूल्य संग्रह करेगा। सफल क्रेताओं के लिए एमएसटीसी के किसी भी कार्यालय में जमा करने का विकल्प रहेगा। प्रिंसिपल के पास क्रेताओं द्वारा जमा किए गए उनके भुगतानों से संबंधित आंकड़ों में एमएसटीसी की वेबसाईट पर एक्सेस का विकल्प रहेगा।/MSTC shall collect sale price/bid money from the buyers for onward submission to the Principal. The successful buyers will have the option to remit their money to any of the offices of MSTC. The principals will have the option to access data related to their payments submitted at MSTC by buyers at the website of MSTC.

8.10 एमएसटीसी क्रेताओं से भुगतान प्राप्ति के बाद सिस्टम के माध्यम से डिलीवरी ऑर्डर तैयार और जारी करेगा। डिलीवरी ऑर्डर की प्रतिलिपि के साथ बिक्री मूल्य (एमएसटीसी सेवा प्रभार घटाकर), सामग्री पर GST, यदि कोई, को जोड़कर प्रस्तुतिकरण पर प्रिंसिपल द्वारा सामग्री डिलीवरी किया जाएगा। प्रिंसिपल क्रेताओं के सामग्री के डिलीवरी के प्रभावी होने से पहले अपने खाते में उक्त सामग्री मूल्य के साख को आश्वस्त करेगा। /MSTC shall prepare and issue Delivery Orders after receipt of the payments from the buyers, through the system. On production of the copy of

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम.एस.टी.सी. लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम दिल्ली

Delivery Order along with the sale value (less MSTC Service Charge), GST on material, if any, the Principal will deliver materials. The Principal shall ensure credit of the said material value in its accounts before effecting delivery of materials to buyers.

8.11 प्रिंसिपल की ओर से एमएसटीसी बुक किए गए आर्डरों पर अनुवर्ती कार्रवाई को सुनिश्चित करेगा।/MSTC shall ensure follow-up of orders booked, on behalf of the Principal.

8.12 ई नीलामी के बाद, एमएसटीसी बोली पत्रक को प्रिंसिपल के पास भेजेगा। जिन सभी बिडों को प्राप्त किया गया है, उन सभी की स्थिति एसटीए (अनुमोदन के अधीन) होगी। एमएसटीसी प्रिंसिपल को मंजूरी के लिए ऐसे सभी लॉट्स की सिफारिश करेगा, जिसके लिए उच्चतम बोली प्राप्त की गई, आरक्षित मूल्य से बराबर या उससे अधिक है। एसटीए के रूप में स्थिति के साथ शेष बिडों के लिए, प्रिंसिपल अंतिम स्वीकृति या अन्यथा के लिए अपने फैसले ले लेंगे। एमएसटीसी को दर्ज रिजर्व प्राइस तक पहुंच नहीं होगी, इसलिए सभी बिडों की स्वीकृति / अस्वीकृति प्रिंसिपल द्वारा किया जाएगा। एमएसटीसी अपने प्रकाशित ई-बुलेटिन के माध्यम से मार्किट इंटेलिजेंस प्रदान करेगा और अन्य विक्रेताओं के लिए आयोजित ई-नीलामी में समान वस्तुओं के लिए प्राप्त दर भी उपलब्ध कराएगा। / MSTC shall forward the Bid Sheet to PRINCIPAL, after close of the e auction. The status of all the lots for which bids have been received shall be STA (subject to approval). MSTC shall recommend all such lots for approval to PRINCIPAL for which the highest bid received, is equal to or more than the reserve price. For the remaining lots with status as STA, PRINCIPAL shall take its own decisions for final approval or otherwise. MSTC will not have access to the Reserve price entered, hence the approval/rejection of the lots would be done by PRINCIPAL. MSTC shall provide market intelligence through its e-bulletin as and when published and may also make available the rates received for similar items in e-auctions conducted for other sellers.

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम.एस.टी.सी. लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
नई दिल्ली-110002

9.0 प्रिंसिपल के उत्तरदायित्व का स्वरूप एवं दायरा/ NATURE & SCOPE OF RESPONSIBILITY OF THE PRINCIPAL :

9.1 प्रिंसिपल एमएसटीसी को निपटान हेतु सामग्री की सूची उपलब्ध कराएगा, जिसमें विस्तृत विनिर्देशन एवं विवरण, अवस्थिति मात्रा, गुणवत्ता तथा विशेष अभियुक्तियां, या किसी प्रकार प्रतिबंध यदि कोई हों, शामिल होंगी। नीलामी की घोषणा खुलने तथा चलते समय प्रिंसिपल लॉट की मात्रा में संशोधन/परिवर्तन/बदलाव नहीं करेगा। ऐसे संशोधनों/परिवर्तनों/बदलाव की लिखित सूचना एमएसटीसी को नीलामी के आयोजन से पूर्व दी जाएगी, ताकि बोलीदाताओं को पर्याप्त समय पर पूर्व सूचित किया जा सके।/The Principal shall provide MSTC with the list of materials with detailed specifications and descriptions, locations, quantity, quality, and special remarks or any sort of restriction, if any, for disposal. The Principal shall not amend/alter or modify the quantity of the lot after the auction is declared open and live. All such amendments/alterations/modifications shall be made prior to commencement of auction and intimated to MSTC in writing for notifying the prospective bidders sufficiently in advance.

9.2 प्रिंसिपल निपटान योग्य स्क्रैप तथा अन्य मदों के यथासंभव प्रत्येक वर्ग की वार्षिक उपलब्धता के बारे में सूचित करेंगे। एमएसटीसी तथा प्रिंसिपल द्वारा प्रत्येक तिमाही में परस्पर सुविधानुसार नीलामी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रिंसिपल अपनी सुविधानुसार अपनी विभिन्न यूनिटों की निपटान योग्य वस्तुओं की संयुक्त सूची तैयार करेंगे।/The Principal shall indicate the annual availability of scrap and other items for disposal as far as possible for each category. The auction programme shall be finalized between MSTC and Principal for each quarter as per mutual convenience. Depending upon their convenience Principal will combine the list of disposable items of its various units.

9.3 एमएसटीसी द्वारा जारी डिलीवरी आर्डरों एवं एमएसटीसी द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रिंसिपल खरीदारों/क्रेताओं को डिलीवरी देगा। सफल बोलीदाताओं/खरीदारों को डिलीवरी देते समय उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद जिस पर एमएसटीसी का कोई नियंत्रण नहीं है, का निपटान

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम.एस.टी.सी. लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम दिल्ली-110062

प्रिंसिपल द्वारा किया जाएगा।/The Principal shall cause to effect deliveries to the buyers/customers as per Delivery Orders issued by MSTC and as per directions given by MSTC from time to time. Any disputes arising while effecting deliveries to successful bidders/buyers, over which MSTC has no control, shall be dealt with by the Principal.

9.4 शर्तों एवं एमएसटीसी द्वारा जारी बिक्री ऑर्डरों/डिलीवरी ऑर्डरों के अनुसार बीजक प्रस्तुत करने का दायित्व प्रिंसिपल का होगा।/The Principal shall be responsible for raising invoices as per the terms and Sale Orders/Delivery Orders issued by MSTC.

9.5 प्रिंसिपल ई-ऑक्शन के जारी रहने के दौरान बिड इतिहास को देखने में सक्षम होंगे एवं ऑक्शन को मॉनिटर भी कर सकेंगे।/The Principal may monitor the auction and will be able to view the bid history etc., during the continuation of the E-auction.

9.6 एमएसटीसी को सामग्री की सूची को अग्रेषित करते हुए प्रिंसिपल प्रत्येक लॉट के लिए जीएसटी की दर का संकेत देंगे।/The Principal will indicate rate of GST for each lot while forwarding the list of material to MSTC.

9.7 एमएसटीसी प्रिंसिपल को सामग्री की बिक्री की मानक शर्तें एवं निबंधन उपलब्ध कराएगा। प्रिंसिपल एमएसटीसी पर एमएसटीसी की बिक्री की मानक शर्तों में कोई फेरबदल करने पर जोर नहीं देंगे। /MSTC shall provide its standard terms and conditions of sale of materials to the Principal. The Principal will not insist on MSTC for any deviation from standard terms of sale of MSTC.

10.0 सेवा प्रभार / SERVICE CHARGE

10.1 एमएसटीसी इंटरनेट पर ई-ऑक्शन के माध्यम से जारी डिलीवरी आर्डर के मूल्य के आधार पर पहुँचे निपटान सामग्री के मूल्य पर सेवा प्रभार **5%** (सेवा कर आदि रहित) का हकदार होगा। सेवा प्रभार पर लागू जीएसटी प्रिंसिपल द्वारा देय होगा।/MSTC shall be entitled to a service charge of **5%** (excluding GST) on the value of materials disposed, arrived on the basis of the value of the Delivery

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम.एस.टी.सी लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम नई दिल्ली-110002

Order (D.O.) issued through e-auction over the Internet. GST as applicable on Service Charges shall be payable extra by Principal.

10.2 सेवा प्रभार की गणना सामग्री पर जीएसटी को छोड़कर की गई राशि पर की जाएगी।/Service Charge will be calculated on the amount realised excluding GST on material.

10.3 खरीदार को एमएसटीसी द्वारा ई-पेमेंट मोड के माध्यम से एमएसटीसी को पूरा भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। एमएसटीसी अपने सर्विस चार्ज **(5% सेवा प्रभार राशि प्लस उस पर जीएसटी माइनस सेवा प्रभार राशि पर टीडीएस)** को अपने पास रखेगा और शेष भुगतान (यानी मटेरियल वैल्यू प्लस मटेरियल वैल्यू पर जीएसटी प्लस सेवा प्रभार राशि पर टीडीएस माइनस एमएसटीसी द्वारा रखे गए सेवा प्रभार और सेवा प्रभार पर जीएसटी) प्रिंसिपल को खरीदार से प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर भेजा जाएगा। भुगतान का विवरण डिलिवरी आदेश में दिया जाएगा। एमएसटीसी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सर्विस चार्ज बिल, डिलीवरी ऑर्डर जारी करने के एक हफ्ते के भीतर प्रिंसिपल को भेजे जाएंगे। प्रिंसिपल सरकार के साथ टीडीएस जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा नियमों के मुताबिक और टीडीएस प्रमाण पत्र रिटर्न के बाद एमएसटीसी को प्रिंसिपल द्वारा प्रदान किया जाएगा। / Buyer shall be directed by MSTC to make the full payment to MSTC through e-payment mode only. MSTC shall retain its service charge (**5% of material value plus GST on the service charge amount less TDS on service charge amount**) and forward the balance payment (i.e material value plus GST on material value plus TDS on service charge amount less amount retained by MSTC towards service charge and GST on service charge) to the Principal. The payment shall be forwarded to the Principal within three working days of receipt of the same from the buyer. The details of payment shall be mentioned in the Delivery Order. Service Charge bills duly signed by MSTC shall be sent to Principal within one week after issuance of Delivery Order. Principal shall be responsible for depositing the TDS with the Govt. as per rules

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम.एस.टी.सी. लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम नई दिल्ली-110002

and TDS certificate will be provided by Principal to MSTC after filing of return.

10.4 जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स को छोड़कर प्राप्त की गई राशि पर सेवा शुल्क की गणना की जाएगी। एमएसटीसी के सेवा शुल्क पर लागू जीएसटी / सेवा कर या कोई अन्य सरकारी शुल्क / कर / शुल्क प्रिंसिपल द्वारा देय होगा। /Service Charge will be calculated on the amount realized excluding GST, Excise Duty and Sales Tax. GST/Service Tax or any other Govt. levies / taxes / charges chargeable on the Service charges of MSTC will be payable by the PRINCIPAL.

11.0 करार के कार्यान्वयन हेतु स्थायी समिति/ STANDING COMMITTEE FOR IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

11.1 इस करार से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए प्रिंसिपल तथा एमएसटीसी अपने एक-एक अधिकारी को नामित करेंगे। इस करार के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु कार्य व्यवस्था का निर्णय परस्पर विचार-विमर्श के आधार पर किया जाएगा।/The Principal and MSTC will nominate one official each for dealing with all matters relating to this Agreement. The working arrangements for implementing the provisions of this Agreement shall be mutually discussed and decided upon.

12.0 बिक्री करार का निष्पादन /EXECUTION OF SALE CONTRACT:

12.1 इस करार के निष्पादन के समय प्रिंसिपल के मौजूदा बिक्री करार (करारों) का प्रचालन जारी रहेगा और वह इस करार के दायरे में नहीं आएगा (आएंगे)। इसी प्रकार यह करार समाप्त होने पर एमएसटीसी द्वारा बुक किए आर्डरों का प्रचालन जारी रहेगा, मानों उन आर्डरों के निष्पादित होने तक यह करार जारी रहता है।/Sale Contract(s) of the Principal existing at the time of execution of this Agreement will continue to operate and will not come under the purview of this Agreement. Similarly, at the expiry of this Agreement, the orders booked by MSTC will continue to operate as if this Agreement continues till the execution of those orders.

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admin.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम.एस.टी.सी. लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
नई दिल्ली-110002

13.0 मुकदमों का संचालन HANDLING OF SUITS:

एमएसटीसी प्रिंसिपल हेतु केवल विक्रय अभिकर्ता/सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा, प्रिंसिपल सामग्री का स्वामी / विक्रेता है, बोलीदाताओं / खरीदारों द्वारा आह्वान किए गए मध्यस्थता सहित सभी मुकदमे, यदि कोई हो, तो विशेष रूप से प्रिंसिपल द्वारा निपटा जाएगा ; चाहे एमएसटीसी ऐसी कार्यवाही में एक पार्टी के रूप में शामिल हो या न हो। मध्यस्थता सहित सभी सूट / कानूनी कार्यवाही को संभालने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी, जो कि किसी भी खरीदार / बोलीदाता द्वारा शुरू की गई हो या उसके खिलाफ की गई हो और खुद का बचाव हेतु की गई हो। ऐसी सभी कार्यवाही स्वयं की लागत और व्यय पर की जाएगी । प्रिंसिपल के सक्षम अधिकारियों को भी एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है, यदि इस तरह की नियुक्ति के लिए बोलीदाता / ग्राहक द्वारा संबंधित निविदा / नीलामी / ई-नीलामी के नियमों के अनुसार किया जाता है। यदि मैसर्स एमएसटीसी की गलती पर अदालत का मामला उठता है, तो जिम्मेदारी मैसर्स एमएसटीसी, दिल्ली का होगी।/Since MSTC will only act as Selling Agent/Service Provider to the Principal who is the Owner/Seller of the materials, all litigations including arbitration, if any invoked by the Bidders/Buyers shall be exclusively dealt with by the Principal irrespective of whether MSTC is joined in such proceedings as a party or not. It shall be responsibility of the Principal to handle all suits/legal proceedings including arbitration that may initiated by or against any buyer/bidder and to defend itself in all such proceedings at its own costs and expenses. The competent officials of the Principal shall be also required to appoint the Sole Arbitrator in case request for such appointment is made by Bidder/Customer in terms of the relevant Tender/Auction/e-Auction Clauses. If court case arises on the fault of M/s MSTC, then responsibility will be of M/s MSTC, Delhi.

14.0 न्यायालय का अधिकार क्षेत्र /JURISDICTION OF THE COURT:

इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का स्थानीय अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार में किया जाएगा, जहां करार में इस करार के तहत सभी मामलों को निष्पादित किया जाएगा।/Any dispute arising out of this agreement shall be subject to exclusive jurisdiction of the local court(s) where

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम.एस.टी.सी. लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम दिल्ली-110001

the agreement shall be executed in all matters under this agreement.

15.0 संशोधन/AMENDMENT:

15.1 इस करार में कोई संशोधन तभी संशोधन होगा जब वह लिखित में और इस करार के पक्षकारों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो। Any amendment to this Agreement would be enforceable only if made in writing and duly signed by authorised representatives of the parties hereto.

16.0 अप्रत्याशित घटना खंड /FORCE MAJEURE CLAUSE:

16.1 यह करार जारी रहने के दौरान किसी भी समय यदि किसी पक्षकार द्वारा इस करार के अंतर्गत कोई वचनबद्धता पूर्णत: अथवा अंशत: किसी युद्ध, वैनमस्य, सार्वजनिक शत्रु कार्रवाई, नागरिक उपद्रव, भीतरघात, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध, प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी, तकनीकी और/या कनेक्टिविटी विफलता, जो पूरी तरह से एमएसटीसी के नियंत्रण से बाहर है आदि अथवा ईश्वरीय कृत्य (जिसे एतद्पश्चात घटनाएं कहा गया है) के कारण पूर्णत: अथवा अंशत: वंचित अथवा विलंबित रहती है बशर्ते ऐसी किसी संभावित घटना की सूचना प्रभावित पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को उसके घटित होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर दे दी जाती है, तो कोई भी पक्षकार ऐसी घटनाओं के कारण दूसरे पक्षकार से कार्य निष्पादित न करने अथवा कार्य के निष्पादन विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा, बशर्ते यह भी कि यदि इस करार के अंतर्गत किसी वचनबद्धता में ऐसी किसी घटना के कारण पूर्णत: अथवा अंशत: साठ दिनों से अधिक की अवधि का विलंब होता है, तो पक्षकार उसके सौहार्दपूर्ण निपटान का प्रयास करेंगे और ऐसा निपटान असफल रहने पर प्रिंसिपल अपने विवेकाधिकार से यह करार समाप्त कर सकता है और ऐसी स्थिति में एमएसटीसी सभी प्रकार के व्यय तथा बोलीदाताओं से प्राप्त अन्य धनराशियों का भुगतान प्रिंसिपल को तुरंत करने के लिए बाध्य होगा।/If, any time during the continuance of this Agreement, the performance, in whole or in part by either party, of any obligation under this Agreement be prevented or delayed by reason of any war, hostility, act of public enemy, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosions, epidemics, quarantine restrictions, strikes, lock-outs, Technical and/or

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम. एस. टी. सी. लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
दिल्ली- 110002

connectivity failure which is entirely beyond the control of MSTC etc. or acts of God (hereinafter referred to as 'events') provided notice of happening of any such eventuality is given by the affected party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall by reason of such event have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or delay in performance, provided further that if the performance in whole or part of any obligation under this Agreement is prevented or delayed by reasons of any such event for a period exceeding sixty days, the parties shall try to arrive at an amicable settlement, failing such settlement the Principal may terminate this Agreement at its sole discretion and at such event MSTC shall be bound to pay all the expenses and other moneys recovered from the bidders to the Principal forthwith.

17.0 समाप्ति / TERMINATION:

17.1 यह करार प्रत्येक पक्ष की ओर से संविदा की समाप्ति से पूर्व स्पष्ट रूप से 3 (तीन) कैलेण्डर माह की लिखित सूचना से समाप्ति के अधीन होगा।/This Agreement shall be subject to termination with clear 3(three) calendar months' notice in writing from either side before the expiry of the contract.

18.0 मध्यस्थता खंड / ARBITRATION CLAUSE :

18.1 इस करार के उपबंधों के निर्वचन एवं /अथवा अनुप्रयोग से संबंधित किसी विवाद अथवा मतभेद की स्थिति में, ऐसे विवाद या अंतर को सीपीएसई के विवादों (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से हल किया जाएगा जैसा कि डीपीई के कार्यालय ज्ञापन संख्या 05/0003/2019-FTS-10937 दिनांक 14.12.2022 और उसके संशोधन में उल्लिखित है। / In the event of any dispute or difference relating to the interpretation and/or application of the provisions of this Agreement, such dispute or difference shall be resolved through Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम. एस. टी. सी. लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
नई दिल्ली-110002

(AMRCD) as mentioned in DPE OM No.05/0003/2019-FTS-10937 dated 14.12.2022 and amendments thereof.

19.0 अन्य शर्तें / OTHER CONDITIONS:

i) एमएसटीसी लिमिटेड ई-नीलामी के संचालन के लिए केवल एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा और ई-नीलामी प्रक्रिया के संचालन के अलावा किसी भी मामले के लिए प्रिंसिपल / विक्रेता और खरीदार के बीच होने वाले किसी भी विवाद के लिए यह पार्टी नहीं होगी। / MSTC LTD shall act only as a Service Provider for conducting e-auction and it shall not be party to any dispute arising between the Principal/Seller and the buyer(s) for any matter other than the conduct of the e-auction process.

ii) चूंकि बेची गयी सामग्री एमएसटीसी लिमिटेड के संरक्षण या अधिकार के अंतर्गत कभी नहीं आती है, अत: सामान की संख्या और/या गुणवत्ता के मामलों में बिडर/क्रेता से कोई भी शिकायत एमएसटीसी के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।/Since materials to be sold shall never come under the custody or possession of the MSTC Ltd, no complaint from the bidders/buyers on account of quality and/or quantity of goods shall lie against MSTC LTD

iii) एमएसटीसी बिडर की तरफ से इंटरनेट सेवा में किसी व्यवधान के कारण उत्पन्न किसी असुविधा हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।/MSTC shall not be responsible for any inconvenience caused due to any disruption in internet service at bidders' end.

iv) इस समझौते में धारा के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच किसी भी संघर्ष / विरोधाभास के मामले में, अंग्रेजी संस्करण का प्रबल होगा। In case of any conflict/contradiction between Hindi and English versions of the clauses in this Agreement, English version will prevail.

20.0 कानून की प्रयोज्यता / APPLICABILITY OF LAWS :

20.1 यह करार इस समय लागू भारतीय कानूनों द्वारा शासित होगा।/ The Agreement shall be governed by the Indian Laws for the time being in force.

डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN
उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
Department of Health Research (Min. of Health & FW)
भारत सरकार / Government of India
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029

एम. एस. टी. सी. लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, नई दिल्ली-110002

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने ऊपर पहले उल्लिखित दिवस, माह तथा वर्ष में हस्ताक्षर किए हैं।/IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have subscribed their respective hands on the day, month and year first above written.

हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द/Signed and delivered by

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से और इसके लिए उनके **उप महानिदेशक (प्रशासन), डॉ. आर. लक्ष्मीनारायण** द्वारा / For and on behalf of **Indian Council of Medical Research** by its **Deputy Director General (Administration), Dr. R. Lakshminarayanan** (पदनाम/Designation) 20/07/2023 डॉ. आर. लक्ष्मीनारायणन / Dr. R. LAKSHMINARAYANAN उप महानिदेशक (प्रशा.) / Deputy Director General (Admn.) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद Indian Council of Medical Research स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) Department of Health Research (Min. of Health & FW) भारत सरकार / Government of India अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 / Ansari Nagar, New Delhi-110029 (मुहर के साथ हस्ताक्षर/Signature with seal)	**एमएसटीसी लिमिटेड** के लिए एवं उनके तरफ से उनके **क्षेत्रीय प्रबंधक, श्रीमती शालिनी भट्टी** द्वारा / For and on behalf of **M/s MSTC Limited,** By its **Regional Manager, Smt. Shalini Bhatti** (पदनाम/Designation) भारत सरकार का उपक्रम ... दिल्ली-110002 शालिनी भट्टी क्षेत्रीय प्रबंधक एम.एस.टी.सी. लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) 30-31A, जीवन विकास भवन, प्रथम तल आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 SHALINI BHATTI Regional Manager MSTC LIMITED (A Govt. of India Enterprise) 30-31A, Jeevan Vikas Building, Ist Floor Asaf Ali Road, New Delhi-110002 (मुहर के साथ हस्ताक्षर/Signature with seal)
की उपस्थिति में/In the presence of : 1: 20.7.23 उदय कुमार / UDAI KUMAR वरि. लेखा अधिकारी / Sr. Accounts Officer भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद Indian Council of Medical Research वी. रामलिंगास्वामी भवन / V. Ramalingaswami Bhawan अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 / Ansari Nagar, New Delhi-29 2: 20/7/23 योगेश कुमार / YOGESH KUMAR प्रशासनिक अधिकारी / Administrative Officer भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद Indian Council of Medical Research स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) Department of Health Research (Min. of Health & F.W.) वी. रामलिंगस्वामी भवन / V. Ramalingaswami Bhawan अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 / Ansari Nagar, New Delhi-29 (मुहर/पते के साथ हस्ताक्षर/Signature with Stamp/Address)	की उपस्थिति में/In the presence of : 1: इंद्रपाल सिंह संधु Inderpal Singh Sandhu Regional Finance Manager MSTC LIMITED (A Govt. of India Enterprises) Asaf Ali Road, New Delhi-110002 2: मनोज पाण्डे उप प्रबन्धक एम.एस.टी.सी. लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) 30-31A, जीवन विकास भवन, प्रथम तल आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 MANOJ PANDEY Deputy Manager MSTC LIMITED (A Govt. of India Enterprises) 30-31A, Jeevan Vikas Building, Ist Floor Asaf Ali Road, New Delhi-110002 (मुहर/पते के साथ हस्ताक्षर/Signature with Stamp/Address)